## जिला कृषि कार्यालय, मधेपुरा।

पत्रांक................/

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला(सभी)

दिनांक............./

**विषयः–** **वर्ष 2013 के खरीफ मौसम में फैलिन चक्रवात/तूफान से फसल क्षति के क्षतिपूर्ति हेतु कृषि इनपुट अनुदान मद में उपलब्ध राशि को वितरण करने के सम्बंध में।**

**प्रसंगः–** **प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक मो0 66/13 सांख्यिकी 568 दिनांक 06.02.2014.**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में सूचित करना है कि खरीफ, 2013 में फैलिन चक्रवात/तूफान से जिले में फसल क्षति हुई थी। फसल क्षति का मुआवजा भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 25 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा आपकों राशि उपावंटित कर दी गई है। लेकिन अभी तक किसानों के बीच वितरण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जिससे प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा क्षोभ व्यक्त किया गया हे।

अतः अनुरोध है कि प्रखंडों को उपावंटित राशि को वितरण हेतु पंचायतवार तिथि निर्धारित करते हुए शिविर में कृषि इनपुट अनुदान वितरण करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही दैनिक प्रगति से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

**विश्वासभाजन**

**जिला कृषि पदाधिकारी**
**मधेपुरा।**

**ज्ञापांक** 250 **/दिनांक** 8/3/14/

**प्रतिलिपिः–**जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
**प्रतिलिपिः–**कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
**प्रतिलिपिः–**प्रधान सचिव, कृषि बिहार, पटना के ज्ञापांक 568 दिनांक 06.02.2014 के आलोक में सादर सूचनार्थ समर्पित।

8/3/14

**जिला कृषि पदाधिकारी**
**मधेपुरा।**